न्यूज़ टुडे

मूडीज ने चेतावनी दी है कि, रूस–यूक्रेन संघर्ष के कारण चिप की कमी का संकट और बढ़ सकता है

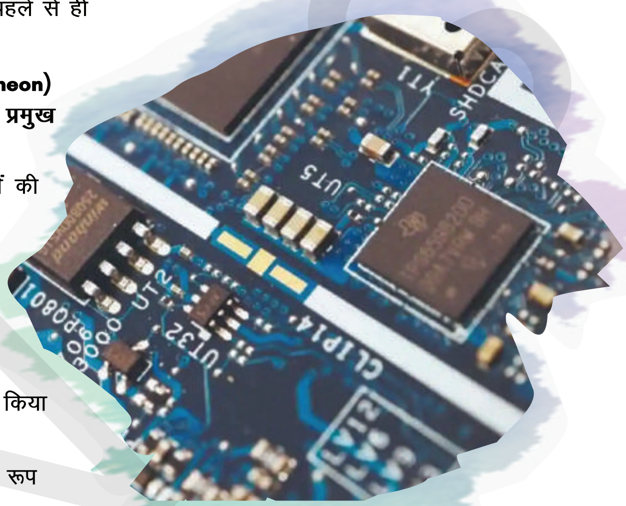

- रूस–यूक्रेन संघर्ष के कारण **सेमीकंडक्टर चिप** की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। चिप की आपूर्ति पहले से ही कोविड–19 वैश्विक महामारी के कारण बाधित रही है।
  - **वैश्विक पैलेडियम** (Palladium) **आपूर्ति का 44%** भाग रूस से आता है। वहीं **यूक्रेन, नियॉन (neon) की वैश्विक आपूर्ति का 70%** भाग उपलब्ध कराता है। ये दोनों सेमीकंडक्टर चिप बनाने के लिए **प्रमुख कच्चे माल** हैं।
  - यूक्रेन **सेमीकंडक्टर फैब्रिकेटिंग लेज़र्स** के उत्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली **दुर्लभ गैसों** की भी आपूर्ति करता है।
- **लॉकडाउन और इस दौरान लोगों के घरों में ही रहने के कारण** लैपटॉप की बिक्री बढ़ गयी। इसके कारण चिप की कमी का संकट और बढ़ गया।
- **सेमीकंडक्टर चिप्स** ऐसे पदार्थ होते हैं, जिनकी विद्युत चालकता एक **कुचालक (इंसुलेटर) से अधिक लेकिन शुद्ध चालक (कंडक्टर) से कम होती** है।
  - इन्हें **मेमोरी चिप्स, माइक्रोप्रोसेसर और इंटीग्रेटेड चिप्स (IC)** सहित कई श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है।
  - ये अधिकांश **आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के लिए एक लघु मस्तिष्क (tiny brains)** के रूप में कार्य करते हैं।
  - **वाहन विनिर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स** (टी.वी., स्मार्टफोन, कंप्यूटर आदि), डेटा सेंटर आदि जैसे **उद्योगों में इनका व्यापक रूप से उपयोग** किया जाता है।
- **भारत में सेमीकंडक्टर या अर्धचालक के विनिर्माण हेतु की गई पहल:**
  - **इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन:** इसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले के उत्पादन की एक स्थायी प्रणाली विकसित करने के लिए, दीर्घकालिक रणनीतियों को आरंभ करना है।
  - **उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना:** इसके तहत अगले 5–6 वर्षों में **सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले बोर्ड उत्पादन** के लिए 76,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।

मेघालय ने CBI की जांच के लिए आम सहमति को वापस ले लिया है

- मेघालय, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की जांच के लिए आम सहमति (general consent) को वापस लेने वाला **नौवां राज्य** बन गया है।
  - इसके पहले **मिजोरम** और सात अन्य राज्यों **(महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और केरल)** ने CBI जांच के लिए आम सहमति वापस ले ली थी।
- **आम सहमति के बारे में:**
  - CBI को **दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 {Delhi Special Police Establishment (DSPE) Act, 1946}** द्वारा शासित किया जाता है। इसलिए किसी राज्य में अपराध की जांच शुरू करने से पहले इसे अनिवार्य रूप से संबंधित राज्य सरकार की सहमति प्राप्त करनी होती है।
  - **सहमति या तो किसी विशेष केस के लिए या सामान्य भी हो सकती है।**
  - "आम सहमति" आमतौर पर राज्यों द्वारा अपने राज्य में **केंद्र सरकार के कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामलों की बाधा रहित जांच** में CBI की मदद करने के लिए दी जाती है।
- **आम सहमति वापस लेने का क्या अर्थ है?**
  - इसका आशय यह है कि CBI अब राज्य सरकार की सहमति के बिना राज्य में केंद्र सरकार के अधिकारियों या राज्य में किसी निजी व्यक्ति से संबंधित **कोई नया मामला दर्ज नहीं** कर पाएगी।
- हालांकि, **उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा, CBI को राज्य की सहमति के बिना देश में कहीं भी इस तरह के अपराध की जांच करने का आदेश** दिया जा सकता है।

CBI के बारे में

- यह भ्रष्टाचार और बड़े आपराधों की जांच के लिए, **केंद्र सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी है।**
- यह कोई कानूनी निकाय नहीं है। यह **DSPE अधिनियम, 1946** से अपनी शक्तियां प्राप्त करता है।
- यह **कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय** के अधीन कार्य करता है।

काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट यानी CAATSA क्या है और यह फिर से सुर्ख़ियों में क्यों हैं?

- संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्ष 2017 में CAATSA कानून बनाया। यह कानून **ईरान, उत्तर कोरिया और रूस** को लक्षित करने के लिए बनाया गया था। साथ ही, इस कानून को इन देशों के साथ व्यापारिक लेन–देन करने वाले **किसी भी देश या निकाय के विरुद्ध** भी लागू किया जा सकता है।
  - अन्य प्रावधानों के अलावा, यह कानून मुख्य रूप से **रूसी हितों** जैसे कि तेल और **गैस उद्योग, रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र तथा वित्तीय संस्थानों पर प्रतिबंधों** से संबंधित है। रूस के विरुद्ध इन प्रतिबंधों को वर्ष 2014 में **रूस द्वारा यूक्रेन में सैन्य हस्तक्षेप** तथा वर्ष 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में कथित हस्तक्षेप के कारण लगाया गया था।
  - यह एक–पक्षीय प्रतिबंध हैं, और संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी भी निर्णय का हिस्सा नहीं है।
- कुछ समय पहले, **भारत को भूतपूर्व ट्रंप प्रशासन** ने **S–400 एयर डिफेंस सिस्टम** के संबंध में **प्रतिबंधों से छूट** प्रदान कर दी थी। इसके बाद, रूस द्वारा नवंबर 2021 में भारत को S–400 एयर डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति आरंभ कर दी गई थी।
  - यूक्रेन पर रूस के हमले और इस संघर्ष के संबंध में **भारत की तटस्थ स्थिति** ने S–400 सौदे को फिर से सुर्ख़ियों में ला दिया है।

भारत के लिए चिंताजनक स्थिति क्यों है?

- रूस **ऐतिहासिक रूप से भारत के लिए हथियारों और युद्ध सामग्री के प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं में से एक** रहा है।
- भारत अब भी **रूसी हथियारों पर बहुत अधिक निर्भर** है। भारत के **कुल सैन्य आयात में आधा हिस्सा रूसी हथियारों** का होता है {सिपरी (SIPRI) डेटा के अनुसार}।

रेल मंत्री ने सूचित किया कि 'कवच' तकनीक अब देशव्यापी कार्यान्वयन के लिए तैयार है और प्रतिवर्ष 4,000–5,000 कि.मी. रेलवे मार्ग को स्वदेशी तकनीक 'कवच' के तहत लाया जाएगा

- रेल मंत्री द्वारा **गुल्लागुड़ा–चिटगिड्डा रेलवे स्टेशनों** के बीच 'कवच' की कार्य प्रणाली के **ट्रायल का निरीक्षण** किया गया।
- कवच स्वदेश में विकसित **"ट्रेन टक्कर रोधी प्रणाली (Train Collision Avoidance System: TCAS)"** है।
  - यह **इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) उपकरणों का एक सेट** होता है। इसे लोकोमोटिव (रेल इंजन), सिग्नलिंग सिस्टम और पटरियों पर लगाया जाता है।
  - ये उपकरण, रेलगाड़ियों के **ब्रेक को नियंत्रित** और **ड्राइवरों को सचेत करने** के लिए **अल्ट्रा–हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी** का उपयोग करके एक–दूसरे से संपर्क स्थापित करते हैं।
- **'कवच' की प्रमुख विशेषताएं:**
  - जब **मानवीय गलती** के कारण कोई ट्रेन किसी **रेड सिग्नल** को पार कर आगे बढ़ जाती है, तो **यह प्रणाली स्वचालित रूप से सक्रिय होकर ट्रेन में ब्रेक लगा देती है।** इस प्रकार यह प्रणाली ट्रेनों के अचानक आमने–सामने आ जाने पर होने वाली टक्कर से भी बचाती है।
  - इस प्रणाली के तहत आगे आने वाली लेवल क्रॉसिंग से पहले, **हूटर अपने आप बज जाता है।** इससे कोहरे की दशा में दूर तक स्पष्ट दिखाई न देने की स्थिति में लोको–पायलटों (यानी ट्रेन ड्राईवर) को सहायता मिलती है।
    - ■ जहाँ रेलवे लाइन सड़क को पार करती है, उसे लेवल क्रॉसिंग कहते हैं।
  - किसी घुमावदार मोड़ पर या पुलों को पार करते समय **ट्रेन की गति स्वचालित रूप से कम होकर, निर्धारित सीमा पर पहुँच** जाती है।
  - इसका वर्ष 2012 से विकास किया जा रहा है। इसे भारतीय उद्योग के सहयोग से **अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन** (Research Design and Standards Organisation: RDSO) द्वारा विकसित किया गया है।
    - ■ इसका परीक्षण **दक्षिण मध्य रेलवे** में किया गया है।
- **रेलवे में सुरक्षा के लिए की गई अन्य पहलें:**
  - मानवरहित लेवल क्रॉसिंग को समाप्त करना,
  - रोलिंग स्टॉक (सभी प्रकार की रेल गाड़ियों) की ऑनलाइन निगरानी करना,
  - रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए **लिंक हॉफमैन बुश कोच** प्रणाली को अपनाना, आदि।

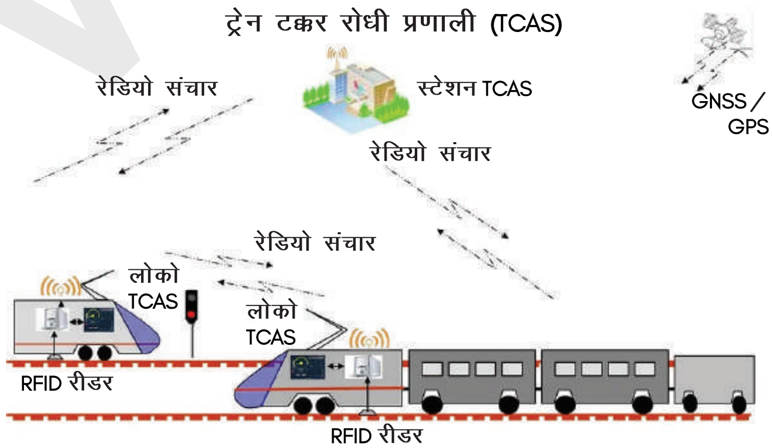

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने चलचित्र अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों पर फिल्म उद्योग के साथ परामर्श किया

- **चलचित्र अधिनियम (Cinematograph Act), 1952** में फिल्मों के प्रदर्शन के लिए प्रमाणन (**certification**) और सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों के विनियमन के संबंध में प्रावधान किया गया है।
  - इसके तहत, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (Central Board of Film Certification: CBFC) का गठन किया गया। यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय है। यह फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन को विनियमित (रेगुलेट) करता है।
- **चलचित्र (संशोधन) विधेयक, 2021 के प्रमुख प्रावधान:**
  - किसी फिल्म को जारी किए गए प्रमाणन पर पुनर्विचार करने हेतु CBFC को निर्देश देने का सरकार को अधिकार दिया गया है।
  - U/A श्रेणी को U/A 7+, U/A 13+, और U/A 16+ में **उप–विभाजित** किया गया है।
  - दंडात्मक प्रावधानों को लागू करके **पायरेसी को रोकने के लिए धारा 6AA** को जोड़ा गया है।
- **इस विधेयक के विरोध में उठाए गए मुद्दे:**
  - केंद्र सरकार के पास उन फिल्मों के **प्रमाणन को रद्द करने या वापस लेने का अधिकार** होगा, जिन्हें CBFC द्वारा पहले ही मंजूरी दे दी गई है।
  - यह फिल्म प्रमाणन पर **मुद्गल समिति (वर्ष 2013) और श्याम बेनेगल समिति (वर्ष 2016) की सिफारिशों के विरुद्ध** है।
  - फिल्म जगत का मानना है कि इसके कुछ प्रावधान **स्वतंत्र अभिव्यक्ति और विमर्श में बाधा** बनकर रचनात्मकता को दबाते हैं।
- **सुझाव:**
  - स्व–विनियमन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए,
  - राज्य की सेंसरिंग शक्ति संबंधी सीमा को सीमित किया जाना चाहिए,
  - आपत्तिजनक सामग्री से संबंधित कंटेंट के लिए, प्रदर्शन से पहले चेतावनियों के उपयोग को बढ़ाया जाना चाहिए, आदि।

अन्य सुर्खियाँ

धर्मांतरण रोधी विधेयक (Anti-conversion Bill)

- हरियाणा सरकार द्वारा विधान सभा में **"हरियाणा गैर–कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक, 2022"** पेश किया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य **बलपूर्वक या धोखाधड़ी आदि के माध्यम से किए गए धर्म परिवर्तन** को अपराध घोषित कर ऐसे धर्मांतरणों को रोकना है।
  - अभी तक **केन्द्रीय स्तर पर कोई धर्मांतरण रोधी कानून नहीं** बनाया गया है।
- **इस विधेयक के मुख्य प्रावधान:**
  - इसके तहत साक्ष्य जुटाने का भार (burden of proof) आरोपी पर है।
  - इसमें यह प्रावधान है कि, धर्म को छुपाकर किए गए **विवाह को शून्य या अमान्य घोषित किया** जाएगा।
- **रेव. स्टेनिस्लॉस बनाम मध्यप्रदेश राज्य (1977) मामले में सुप्रीम कोर्ट** ने मध्य प्रदेश और ओडिशा के धर्मांतरण रोधी कानूनों को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि **भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में धर्मांतरण का अधिकार शामिल नहीं है।**

मेघालय–असम सीमा विवाद (Meghalaya-Assam border dispute)

- मेघालय के राज्यपाल ने कहा है कि जल्द ही **छह क्षेत्रों** में असम के साथ मेघालय के सीमा विवादों का सुलझा लिया जाएगा। इन छह क्षेत्रों में **ताराबारी, गिजांग, हाहिम, बोकलापारा, खानापारा–पिलंगकाटा** और **रताचेरा** शामिल हैं।
- यह विवाद **वर्ष 1972 में शुरू हुआ था, जब मेघालय का गठन असम को विभाजित करके किया गया था।**
  - यह विवाद असम से एक अलग राज्य के रूप में मेघालय के गठन के समय किए गए समझौते में सीमाओं के सीमांकन को लेकर अलग–अलग व्याख्या के कारण उत्पन्न हुआ है।
  - **दोनों राज्यों की सीमाओं पर 12 क्षेत्रों को लेकर विवाद है।**
- दोनों राज्यों ने इस संबंध में एक **समझौता ज्ञापन** पर हस्ताक्षर किए हैं। इसे अग्रिम **जांच के लिए गृह मंत्रालय को भेजा दिया गया है।**

खेरसॉन, यूक्रेन (Kherson, Ukraine)

- रूसी सेना ने काला सागर में मिलने वाली **नीपर नदी के किनारे स्थित खेरसॉन** शहर पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है।
- **इसका महत्व:**
  - यह एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर है। यह भूमध्य सागर को एक **महत्वपूर्ण आर्थिक व्यापार मार्ग प्रदान करता है।**
  - काला सागर, दक्षिण में उत्पन्न होने वाले किसी भी खतरे से निपटने के लिए एक **सुरक्षा बफर क्षेत्र** के रूप में कार्य करता है।
  - यहां **खेरसॉन शिपयार्ड** स्थित है। यह स्थान विभिन्न प्रकार के जहाजों जैसे व्यापारी जहाज, टैंकर, कंटेनर जहाज आदि के निर्माण के लिए विख्यात है।

प्रोजेक्ट आर्या (कृषि में युवाओं को आकर्षित करना और बनाए रखना) {Project ARYA (Attracting and retaining youth in agriculture)}

- **भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)** द्वारा "प्रोजेक्ट आर्या" की शुरुआत की गयी है। इसका लक्ष्य देश के **कृषि विकास में ग्रामीण युवाओं के महत्व को मान्यता देना है।**
  - इसका मुख्य उद्देश्य चयनित जिलों के **ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को विभिन्न कृषि और कृषि से जुड़े तथा सेवा क्षेत्र के उद्यमों को अपनाने के लिए** आकर्षित करना और उन्हें सशक्त बनाना है। इससे उन्हें स्थायी आय और लाभकारी रोजगार प्राप्त होगा।
  - इसका कार्यान्वयन **कृषि विज्ञान केंद्रों** के माध्यम से किया जा रहा है।
  - अलग–अलग **कृषि विश्वविद्यालय** और **ICAR संस्थान** इसके प्रौद्योगिकी भागीदार के रूप में कार्य करते हैं।
- **ICAR, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है।**

"भवन निर्माण पर्यावरण प्रबंधन विनियम, 2022" पर मसौदा अधिसूचना जारी की गई (Draft notification of the Building Construction Environment Management Regulations, 2022)

- यह अधिसूचना **पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986** के तहत पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय द्वारा जारी की गई है।
- **मुख्य विशेषताएं:**
  - इसके तहत निर्माण स्थलों के भीतर **प्रत्येक 80 वर्ग मीटर भूमि पर कम–से–कम एक पेड़ लगाना आवश्यक है।** यह प्रत्येक भूखंड के लिए 10 प्रतिशत हरित आवरण सुनिश्चित करेगा।
  - यह विनियम **5,000 वर्ग मीटर या उससे अधिक के निर्मित क्षेत्र पर लागू** होगा।
  - निर्माण स्थल पर **वर्षा जल संचयन (रेन वाटर हार्वेस्टिंग) या भूजल पुनर्भरण प्रणाली** का निर्माण भी अनिवार्य होगा।
  - **आर्द्रभूमि और जल निकायों** पर किसी भी **निर्माण कार्य की अनुमति प्रदान नहीं** की जाएगी।
  - इसमें कुछ परियोजनाओं के लिए **ऑन–साइट ठोस अपशिष्ट प्रबंधन** का प्रावधान किया गया है।

VISIONIAS

 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए आधुनिकीकरण योजना–IV {Modernisation Plan-IV for Central Armed Police Forces (CAPFs)}	○ गृह मंत्रालय ने **"CAPFs के लिए आधुनिकीकरण योजना–IV"** को स्वीकृति प्रदान की है। यह योजना **वर्ष 2022 से वर्ष 2026** तक लागू की जाएगी। यह इस योजना का चौथा संस्करण है। ➢ इस योजना के तहत CAPFs की विभिन्न क्षेत्रों में तैनाती को ध्यान में रखते हुए, उन्हें उनकी परिचालन आवश्यकता के अनुसार **अत्याधुनिक हथियार और उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे।** इसके अलावा उन्हें **उन्नत आई.टी. समाधान भी प्रदान** किए जाएंगे। ➢ इस योजना के कार्यान्वयन से **CAPFs** की **समग्र परिचालन दक्षता और तत्परता में सुधार होगा।** ○ CAPFs में **गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले सशस्त्र पुलिस संगठन** शामिल हैं। इसमें असम राइफल्स, सीमा सुरक्षा बल (BSF), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF), भारत–तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP), राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) और सशस्त्र सीमा बल (SSB) शामिल हैं।
 नोक्कुकुली (Nokkukooli)	○ **केरल हेड–लोड वर्कर्स एक्ट, 1978** में संशोधन के लिए एक मसौदा प्रस्ताव स्वीकृति के लिए लंबित है। इस संशोधन में 'नोक्कुकुली' की मांग करने वाले वर्कर्स या कामगार के लिए दो वर्ष तक की कैद का प्रावधान किया गया है। ○ **नोक्कुकुली वस्तुतः** ट्रेड यूनियनों द्वारा अपनाई जाने वाली **एक सदियों पुरानी प्रथा है।** इसके तहत **कार्य न करने वाले श्रमिकों के लिए भी श्रम 'शुल्क' की मांग की जाती है।** ○ नवंबर 2021 में, केरल उच्च न्यायालय ने राज्य पुलिस को नोक्कुकुली को जबरन वसूली के रूप में मानने का निर्देश दिया था।
 औषधीय मारिजुआना (Medicinal Marijuana)	○ हाल ही में, **कोस्टा रिका ने औषधीय मारिजुआना (यानी गांजा) के उपयोग, भांग की खेती और इसके औद्योगिक उत्पादन को वैध घोषित किया है।** ➢ हालांकि, **मनोरंजक उद्देश्यों** के लिए यह **प्रतिबंधित** है। ○ औषधीय मारिजुआना, ग्लूकोमा; सिज़ोफ्रेनिया और पोस्ट–ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (PTSD) जैसी मानसिक बीमारियों के **उपचार में इस्तेमाल** होता है। उपचार के दौरान मारिजुआना के पौधे या इसके सक्रिय रसायन (कैनाबिनोइड्स) का उपयोग किया जाता है। ○ भारत में, **मारिजुआना का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित नहीं है।** कानून के तहत इसके चिकित्सीय और वैज्ञानिक उपयोग की अनुमति प्रदान की गयी है। ○ हालांकि, **नारकोटिक्स ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम, 1985** के तहत इसकी **बिक्री और उपभोग पर प्रतिबंध** है।
 शिरुई लिली महोत्सव (Shirui Lily Festival)	○ शिरुई लिली महोत्सव, मणिपुर के पर्यटन विभाग द्वारा **वार्षिक रूप** से आयोजित एक **पांच दिवसीय राजकीय महोत्सव** है। ○ इसका उद्देश्य **राजकीय पुष्प "शिरुई लिली"** के बारे में जागरूकता फैलाना है। यह एक एंडेंजर्ड फूल है। ➢ यह **ग्राउंड लिली** की एक अनोखी प्रजाति है, जो **केवल मणिपुर की शिरुई पहाड़ियों** में पाई जाती है। ➢ यह फूल लगभग **एक फुट लंबा** होता है और इसका आकार घंटी के समान होता है। यह प्रतिवर्ष **अप्रैल से जून माह** के दौरान ही खिलता है। ○ इस महोत्सव के दौरान मणिपुर की समृद्ध जैव–विविधता और सांस्कृतिक विरासत की मनोरम प्रस्तुति की जाती है। साथ ही, यह इस क्षेत्र में रहने वाली **"तांगखुल नागा जनजाति" के बारे में और अधिक जानने का अवसर प्रदान करता है।**

8468022022, 9019066066
www.visionias.in

/c/VisionIASdelhi /Vision_IAS /visionias_upsc /VisionIAS_UPSC